गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक......................... पत्रांक: 765/निजी०अनु०।

दिनांक..25-11-2006

सेवा में,

मैसर्स लैण्डक्राफ्ट डवलपर्स प्रा० लि०
सी-22, थर्ड फ्लोर आर.डी.सी.
राजनगर, गाजियाबाद।

विषयः इन्टीग्रेटेड हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति के अधीन लाईसेंस आधारित प्रणाली के अन्तर्गत लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ लाईसेंस प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी है कि कन्सोर्सियम की कोई भी सहभागी कम्पनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या अन्य किसी नगर में किसी अन्य कन्सोर्सियम की सदस्या नहीं है। यदि उक्त शर्त का उल्लंघन प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो जारी लाईसेंस को निरस्त माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी कन्सोर्सियम द्वारा गाजियाबाद के अतिरिक्त अन्य किसी नगर में पंजीकरण अथवा लाईसेंस हेतु आवेदन किया जाता है तो शासनादेश संख्या 2236/आठ-1-06-45विविध/06 दिनांक 28.04.06 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं कन्सोर्सियम का टर्न ओवर सरपलस होने तथा पंजीकरण हेतु अन्य अर्हताओं के पूर्ण होने पर ही विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार लाईसेंस इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यह लाईसेंस शासनादेश संख्या 2711/आठ-1-05-34/विविध/2003 दिनांक 21.5.2005, 2873/आठ -1-05-34/विविध/2003 /TC-1 दिनांक 29.12.2005 एवं 2236/ आठ -1-06-45/ विविध/2006 दिनांक 28.4.2006 में निहित प्राविधानों एवं इन्टीग्रेटेड हाऊसिंग स्कीम के नियम एवं शर्तों तथा इनमें शासनादेश संख्या 2236/ आठ -1-06-45/ विविध/2006 दिनांक 28.4.2006 के अनुसार किये गये संशोधनों पर प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(आर.सी. मिश्र)
सचिव